परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित (6.00X5.00=30.00 वर्ग मी0 अर्थात 0.0030है0 (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश</u>

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून

D:\Naveen\Village Ajabpurkalan for Consttuction of Hand Pump.doc

संख्या 865/उन्तीस(2)/15–2(189पे0)/2013

172.40
f207.28

प्रेषक,

महावीर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 22 जून, 2015

विषय – जनपद देहरादून के हाथीबड़कला, यमुना कालोनी, संजय कालोनी तथा टैगोरविला उच्च जलाशयों हेतु नलकूप, वितरण प्रणाली एवं राइजिंग मेंन का निर्माण कार्य गठित प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 346/नगरीय अनुभाग–नगरीय सामान्य/74 दिनांक 11.30.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के हाथीबड़कला, यमुना कालोनी, संजय कालोनी तथा टैगोरविला उच्च जलाशयों हेतु नलकुप, वितरण प्रणाली एवं राइजिंग मेंन का निर्माण कार्य हेतु अनुमानित रु0 499.72 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग के परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि निर्माण कार्य हेतु रु0184.35 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत रु0 247.02 लाख अर्थात् कुल रु0 431.37 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 100.00 लाख (एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर पश्चात् बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम),

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Mechanical Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Evam Nirman Nigam,

..........2..........

आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2– चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति– आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय जलपूर्ति –01 नगरीय पेयजल/ जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0) –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H1506131181 दिनांक 20 जून, 2015 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–54(A)/XXXVII(2)/15 दिनांक 19 जून, 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

पृ0सं0–865 (1)/उन्तीस(2)/15–2(189पे0)/2013तद्दिनांकि

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

photo copy Attd

Assistant Engineer
Mechanical Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Dehradun